

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1278/2016/भीलवाड़ा.

2. अपील संख्या - 1279/2016/भीलवाड़ा.

सहायक आयुक्त, वृत्त-सी, वाणिज्यिक कर,
भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हमारा पम्प, कॉस्या, बिजौलिया
भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/08/2017

निर्णय

1. यह अपीलें राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 24/वैट/15-16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रस्तुत अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार की वैट अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लेकर कम्पोजिशन फीस जमा करा दी गई थी, जिसके आधार पर दोनों ही वर्षों के कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 22 एवं 24(3) के अन्तर्गत पारित किये गये थे। जिससे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देते हुये कर निर्धारण किया गया था।
4. उक्त कर निर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात दिनांक 07.04.2015 को पुनः वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के धारा 33 के तहत आदेश पारित कर व्यवहारी को दिये गये कम्पोजिशन स्कीम का लाभ हटा कर पूरे टर्न ओवर पर अधिनियम की धारा 4 के तहत करारोपण किया गया। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि जो कर निर्धारण आदेश विधि अनुसार पूर्व में पारित किये गये थे उन्हें अधिनियम की धारा 33 के तहत




लगातार.....2

संशोधित किये जाने का कोई आधार नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 33 के तहत केवल किसी Error / Mistake / Apparent or record को ही दुरस्त किया जा सकता है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सी 29 Tax Update 33 में Reappreciation of facts धारा 33 में किया जाना अविधिक माना है। इस आधार पर धारा 33 के कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अविधिक माना है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन कर निर्धारण आदेश पूर्व में पारित कर निर्धारण आदेशों को संशोधित करने के आदेश नहीं है बल्कि पूर्व के कर निर्धारण आदेश जो कि धारा 5(1) के तहत कम्पोजिशन स्कीम के तहत निर्धारित किये थे उन्हें अपास्त कर नये कर निर्धारण आदेश धारा 4(1) के तहत नवीन करारोपण करते हुये किये गये है जिसमें यह माना है कि पूर्व कर निर्धारण में व्यवहारी को गलत रूप से कम्पोजिशन स्कीम में लाभार्थी माना था जबकि व्यवहारी द्वारा कम्पोजिशन राशि विलम्ब से जमा करवाई गई थी जो स्कीम के क्लॉज का उल्लंघन था। इस तरह पूर्व में पारित कर निर्धारण आदेश में गलती नहीं थी बल्कि उक्त आदेशों में पूर्व के आदेशों को अविधिक माना है एवं नया आदेश धारा 33 में किया है जबकि धारा 33 में केवल पूर्व आदेश की गलती Mistake Appartment on record को उसी आदेश के अधीन दुरस्त किया जा सकता था। यह कहना उचित होगा कि पूर्व में पारित किया गया आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था जिन्होंने जमा राशि के विलम्ब को कन्डोन कर कम्पोजिशन स्कीम में बनाये रखने की अनुमति दी थी जो एक विधिक निर्णय था। यदि किसी निर्णय को अविधिक माना भी जावे तो वह पूरा आदेश निरस्तनीय होता है न कि संशोधन योग्य है क्योंकि संशोधन करने का प्रावधान एक Limited right ही प्रदान करता है जो Mistake apparent on record हो। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि की सही व्याख्या के साथ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है जिसमें कोई भूल नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है।

फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(क. एल. जैन)
सदस्य